न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्याः 55 / 2020

आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड,
शाखा कार्यालयः— एम्बीशन टॉवर, ऑफिस नंबर— 307—312, थर्ड फ्लोर, अग्रसेन सर्किल,
सी—स्कीम, जयपुर (राज0) ....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) श्री तेजपाल वैष्णव पुत्र श्री लक्ष्मणदास वैष्णव,
निवासीः— मकान नं0—82, वार्ड नंम्बर 2, सरदार सिंह की ढाणी रोड मदनगंज,
तेल घाणी वाली गली, गांधी नगर, किशनगढ—305801 एवं मैसर्स वैष्णव साडी सेन्टर,
सरदार सिंह ढाणी रोड, गांधी नगर, किशनगढ—305801 एवं 26, रामदेव जी का चौक,
छतडी, अजमेर (राज0) 305023

(2) श्रीमती ललिता देवी पत्नी श्री तेजपाल वैष्णव पुत्र श्री लक्ष्मणदास वैष्णव,
निवासीः— मकान नं0—82, वार्ड नंम्बर 2, सरदार सिंह की ढाणी रोड मदनगंज,
तेल घाणी वाली गली, गांधी नगर, किशनगढ—305801 एवं मैसर्स वैष्णव साडी सेन्टर,
सरदार सिंह ढाणी रोड, गांधी नगर, किशनगढ—305801 एवं 26, रामदेव जी का चौक,
छतडी, अजमेर (राज0) 305023

(3) श्री मैसर्स वैष्णव साडी सेन्टर जरिये प्रोपराईटर श्री तेजपाल वैष्णव,
पताः— सरदार सिंह ढाणी रोड, गांधी नगर, किशनगढ (राज0) 305801
..............अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :— उमराव बसीटा अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 27.02.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 03 को दिनांक 30.01.2015 एवं 28.01.2016 को रू. 11,20,000 / — (अक्षरे ग्यारह लाख बीस हजार मात्र) एवं रू 3,80,000 / — (अक्षरे तीन लाख अस्सी हजार मात्र) कुल ऋण रू 15,00,000 / —(अक्षरे पन्द्रह लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर सरदार सिंह ढाणी जाने वाला रास्ता, रूपनगढ रोड, चुंगी के सामने गली में, गांधी नगर, मदनगंज, किशनगढ, अजमेर (राज0) स्थित आवासीय अचल संम्पत्ति, क्षेत्रफल 94.55 वर्गगज है, जिसकी चतुर्थ सीमाऐं— पूर्व में—ममता दाधीच पत्नी रामस्वरूप का मकान, पश्चिम में— श्री गणेश प्रजापत का मकान, उत्तर में—दयाल प्रजापत का मकान, दक्षिण में—रास्ता 16 फीट चौडा, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 15.11.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 26.11.2018 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 14,33,714 / — (अक्षरे चौदह लाख तैतीस हजार सात सौ

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

चौदह रूपये मात्र) का जारी किया गया। तत्पश्चात नोटिस का प्रकाशन दो दैनिक समचार पत्र में प्रकाशन किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक संम्पत्ति सरदार सिंह ढाणी जाने वाला रास्ता, रूपनगढ रोड, चुंगी के सामने गली में, गांधी नगर, मदनगंज, किशनगढ, अजमेर (राज0) स्थित आवासीय अचल संम्पत्ति, क्षैत्रफल 94.55 वर्गगज है, जिसकी चतुर्थ सीमाऐं– पूर्व में–ममता दाधीच पत्नी रामस्वरूप का मकान, पश्चिम में– श्री गणेश प्रजापत का मकान, उत्तर में–दयाल प्रजापत का मकान, दक्षिण में–रास्ता 16 फीट चौडा, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner